



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

राजस्व वाद संख्या – 41/2018

मिश्रीलाल

बनाम

काना वगै.

अन्तर्गत धारा 188,209,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|-------------|--|--|
| 21.05.2018 | <p>पत्रावली आज केम्प कोर्ट आलोली में पेश हुई जहां वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है। उपस्थित वादी ने एक प्रार्थनापत्र वास्ते पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो जाने से वादी का दावा आगे नहीं चलाने व दावा विद्धो करने हेतु पेश किया जिसे बाद स्वीकार शामिल पत्रावली किया गया। लिहाजा वादी का दावा अन्तर्गत धारा 188,209,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विद्धो हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी केकडी</p> | |